

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी मनाली, जिला कुल्लू का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 8/07 से 3/14

1 प्रारम्भिक:-

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0-एफ (1) 3/2000, ई-गवर्नेन्स दिनांक 3.09.05 के दृष्टिगत, ई-गवर्नेन्स सोसाईटी मनाली क अवधि 8/07 से 3/14 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण इस विभाग के श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 6.1.15 से 29.1.15 के दौरान मनाली में किया गया। ई-गवर्नेन्स सोसाईटी जिला कुल्लू का गठन सभायें पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 के अन्तर्गत दिनांक 11.9.06 को पंजीकरण संख्या 489/2006 के अन्तर्गत हुआ तथा इसी पंजीकरण संख्या के अन्तर्गत ई-गवर्नेन्स सोसाईटी मनाली ने अपना कार्य 26.8.07 से आरम्भ किया। अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 7/08, 6/09, 8/10, 7/11, 3/13 व 3/14 जबकि व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 9/07, 7/08, 1/10, 9/10, 3/12, 1/13 व 11/13 का चयन किया गया है।

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री अभिषेक जैन	11.6.07 से 19.3.08
2	श्रीमती सुधा जैन	19.3.08 से 31.5.09
3	श्री बी०एम० नाटा	1.6.09 से 2.5.12
4	श्री प्रियातु मण्डल	2.5.12 से 6.6.12
5	श्री अमिताभ अवस्थी	7.6.12 से 9.10.12
6	डा० अमनदीप गर्ग	10.10.12 से 3.7.13
7	श्री सर्वनेगी	7.1.13 से 3.7.13
8	श्री राकेश कवर	3.7.13 से लगातार

(ग) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, मनाली के प्रभारी के पद पर कार्यरत रहे:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री विनय सिंह	9.3.06 से 2.10.08
2	श्री राजेश्वर गोयल	8.10.08 से 16.5.11
3	श्री बलवीर ठाकुर	16.5.11 से 31.1.13
4	श्री विनय धीमान	1.2.13 से लगातार

(घ) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

पैरा सं०	विवरण	₹ लाखों में
4	रोकड़ बही/लेखों का रख रखाव नियमानुसार न करवाया जाना	विवरण पैरे में दिया गया है

7	राजकीय कोष में राशि का जमा न करवाना	4.96
---	-------------------------------------	------

(ड) यह अंकेक्षण ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, मनाली द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्क:—

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी मनाली के अवधि 8/07 से 3/14 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर कुल ₹16000/- आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या V.D (211)\2015-20 दिनांक 29.1.15 द्वारा उप मण्डल अधिकारी (न) एवं प्रभारी ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, मनाली से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति:—

(क) ई-गवर्नेन्स सोसाईटी मनाली द्वारा प्रस्तुत वित्तीय स्थिति परिशिष्ट "क-1" पर संलग्न है तथा बैंक समाधान विवरणिका परिशिष्ट "क-2" पर संलग्न है।

(ख) अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.14 का अन्तशेष ₹122252/- था जबकि रोकड बही का दिनांक 31.3.14 का अन्तशेष ₹122050/- है। अतः ₹202/- को बैंक में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4 रोकड बही/लेखों का रख-रखाव नियमानुसार न करवाया जाना:—

(क) अंकेक्षण अवधि के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि ई-गवर्नेन्स सोसाईटी मनाली द्वारा ई-गवर्नेन्स आरम्भ करने की तिथि अर्थात् दिनांक 26.8.07 से दिनांक 6.5.08 के दौरान सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त कुल आय की ₹153218/- को कार्यालय चैस्ट (Chest) में ही रखा गया था तथा प्राप्त राशि को बैंक में जमा नहीं करवाया गया था। सोसाईटी द्वारा इस अवधि में प्राप्त आय से ₹36968/- का व्यय कार्यालय प्रयोग हेतु सामान के क्रय करने पर किया गया था तथा शेष ₹116250/- को 7.5.08 में बैंक में नया खाता संख्या 171300010116250 खोलकर साथ जमा करवाया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अवधि में प्राप्त आय व व्यय की सूचना प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)\2015 -11

दिनांक 16.1.15 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके उत्तर में सोसाईटी द्वारा पत्र संख्या 29, दिनांक 24.1.08 द्वारा सूचित किया गया कि कार्यालय पत्र संख्या MNL\e-Governance\MLC\2008-236 दिनांक 27.2.08 द्वारा जिलाधीश कार्यालय, कुल्लू को प्राप्त आय के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश देने हेतु पत्र लिखा गया परन्तु उनमें कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त न होने पर दिनांक 7.5.08 को बैंक में नया खाता खोलकर शेष राशि जमा करवा दी गई। अतः प्राप्त आय का एक लम्बी अवधि तक कार्यालय चैस्ट में रखने का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकक्षण के दौरान रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही को कई बार सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं करवाया गया है। रोकड़ बही में कोई गलती हो जाने पर या गलत मद का ईन्द्राज हो जाने पर सोसाईटी द्वारा इसे काट कर व ठीक मद को अलग से पुनः लिखने के स्थान पर गलत ईन्द्राज के उपर ही इसे ठीक कर दिया गया है जोकि एक अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अन्त में कोई मासिक विवरण नहीं दिया गया है तथा न ही रोकड़ बही का निर्माण ई-गवर्नेन्स सोसाईटी जिला कुल्लू द्वारा निर्धारित फण्ड नियम 7 व 8 के अनुसार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-2 पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया है। अतः रोकड़ बही का निर्माण उक्त फण्ड नियम 7 व 8 के अनुसार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-2 पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिसके अनुसार रोकड़ बही में प्रत्येक माह में प्राप्त कुल आय तथा व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्तशेष का भी विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण दिया जाए तथा रोकड़ बही के शेष का बैंक से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के अतिरिक्त भविष्य में जब कभी भी रोकड़ बही में किसी ईन्द्राज को ठीक करना है तो पुरानी प्रविष्टि को काट कर व नई प्रविष्टि पुनः लिखकर तथा उसे सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर प्रविष्टि को पुनः दर्ज किया जाए।

(ग) इसके अतिरिक्त रोकड़ बही की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2010-11 तक सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय को एक बड़े अन्तराल के बाद रोकड़ बही में दर्ज किया गया। अतः उक्त अवधि में प्राप्त आय को रोजाना बैंक में जमा न करके, कार्यालय की चैस्ट (Chest) में रखा गया था तथा एक लम्बे समय के बाद एक साथ ही बैंक में जमा करवाया गया था। इसके अतिरिक्त इस अवधि में कार्यालय प्रयोग हेतु क्रय किए गए सामानों/वस्तुओं का भुगतान भी प्राप्त आय से नगद में ही किया गया जबकि क्रय किए गए सामानों व वस्तुओं का भुगतान, बैंक/चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित था। दिनांक 7.5.08 के पश्चात रोकड़ बही में

एक लम्बे अन्तराल के बाद दर्ज प्रविष्टियों व बैंक में जमा राशि व दिनांक का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	प्राप्त आय की अवधि	रोकड़ बही पृ०सं० व दिनांक	प्राप्त आय	व्यय की राशि	बैंक में जमा राशि	जमा करने की दिनांक
1	7.5.08 से 9.7.08	1 / 9.7.08	43312	9662	33650	9.7.08
2	10.7.08 से 2.9.08	1 / 2.9.08	29393	7045	22348	2.9.08
3	3.9.08 से 1.11.08	2 / 1.11.08	9565	—	9565	1.11.08
4	2.11.08 से 16.1.09	2 / 16.1.09	25920	—	25920	16.1.09
5	17.1.09 से 10.2.09	2 / 10.2.09	24700	5220	19480	10.2.09
6	11.2.09 से 8.4.09	5 / 8.4.09	42240	15505	26735	8.4.09
7	9.4.09 से 2.6.09	6 / 2.6.09	54450	4929	49521	2.6.09
8	3.6.09 से 13.8.09	7 / 13.8.09	44990	12846	32144	13.8.09
9	14.8.09 से 4.9.09	8 / 4.9.09	26640	5230	21410	4.9.09
10	5.09.09 से 5.11.09	9 / 7.11.09	2042	—	2042	7.11.09
11	6.11.09 से 14.12.09	11 / 15.12.09	41343	4375	36968	15.12.09
12	15.12.09 से 7.1.10	12 / 8.1.10	38145	10874	27271	8.1.10
13	9.1.10 से 3.3.10	14 / 3.3.10	38800	9464	29336	4.3.10
14	4.3.10 से 1.4.10	15 / 1.4.10	31649	8678	22971	2.4.10
15	2.4.10 से 21.5.10	16 / 21.5.10	40614	19284	21330	22.5.10
16	22.5.10 से 1.6.10	17 / 2.6.10	14326	—	14326	2.6.10
17	2.6.10 से 21.8.10	18 / 23.8.10	54280	7143	47137	23.8.10
18	23.8.10 से 2.9.10	20 / 3.9.10	7920	—	7920	3.9.10
19	21.10.10 से 2.11.10	24 / 2.11.10	26685	—	26685	3.11.10
20	3.11.10 से 30.11.10	25 / 1.12.10	30730	21980	8750	1.12.10
21	1.12.10 से 31.12.10	26 / 1.1.11	15940	13314	2626	1.1.11
22	1.1.11 से 31.1.11	28 / 7.2.11	20620	570	20050	7.2.11
23	1.2.11 से 28.2.11	29 / 4.3.11	18000	3257	14743	4.3.11
24	1.3.11 से 31.3.11	31 / 2.4.11	31890	4745	27145	2.4.11
25	1.4.11 से 30.4.11	33 / 2.5.11	37740	2656	35084	2.5.11
26	8.6.11 से 30.6.11	2 / 2.7.11	18460	3229	15231	2.7.11

(घ) उक्त के अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी०पी०टी०—एफ (1) 3/2000 ई—गवर्नेन्स दिनांक 3.9.05 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का निर्माण सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष Balance Sheet तैयार करनी अपेक्षित थी, परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का निर्माण सही प्रकार से

किया गया है और न ही लेजर बनाए गए हैं और न ही Balance Sheet तैयार की गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब नियमों की अनुपालना करते हुए रोकड़ बही का निर्माण सही ढंग से करने के अतिरिक्त सम्बन्धित Ledger, Balance Sheet तथा बैंक समाधान विवरणी भी समय-2 पर तैयार की जाए व जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

5 अवधि 26.8.07 से 6.5.08 की रोकड़ बही व प्राप्त आय के वाउचरों को जांच हेतु उपलब्ध न करवाना:—

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि ई-गवर्नेन्स सोसाईटी मनाली द्वारा अवधि 26.8.07 से 6.5.08 की रोकड़ बही का निर्माण नहीं किया गया था तथा न ही इस अवधि में प्राप्त आय के वाउचरों को जांच हेतु उपलब्ध करवाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2015-11 दिनांक 16.1.15 द्वारा अवधि 26.8.07 से 7.5.08 की रोकड़ बही व अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2015-17 दिनांक 23.1.15 द्वारा उक्त अवधि में प्राप्त आय के वाउचरों को उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में सोसाईटी द्वारा पत्र संख्या 30, दिनांक 24.1.15 द्वारा सूचित किया गया कि कार्यालय के हस्तांतरण के समय कुछ वाउचर गुम हो गये हैं तथा कम्प्यूटर से डाटा न मिलने के कारण भी उक्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका। इस प्रकार उक्त अवधि की रोकड़ बही व वाउचर उपलब्ध न होने के कारण इनकी जांच सम्भव नहीं हो सकी। अतः अवधि 26.8.07 से 6.5.08 की रोकड़ बही तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस अवधि की रोकड़ बही व आय के वाउचरों को दृढ़कर आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाए तथा उसकी जांच अंकेक्षण में करवानी सुनिश्चित की जाए।

6 चयनित मासों में सारथी मद से प्राप्त सेवा शुल्क के वाउचर जांच हेतु उपलब्ध न करवाना:—

चयनित मासों में प्राप्त सेवा शुल्क की विस्तृत जांच हेतु माह 7/08, 6/09 व 8/10 में कुल सेवा शुल्क की आय की जांच करने हेतु सारथी मद से प्राप्त सेवा शुल्क के वाउचर जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। सेवा शुल्क के रूप में निम्नविवरणानुसार प्राप्त आय के वाउचरों को उपलब्ध करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2015-17 दिनांक 23.1.15 द्वारा उप मण्डल अधिकारी (ना0) से अनुरोध किया गया परन्तु उनके द्वारा सारथी मद से प्राप्त सेवा शुल्क के वाउचर जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करते हुए सारथी मद से सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय के वाउचरों को जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	चयनित माह	रोकड़ बही	कुल सेवा	वाहन मद से	सारथी मद
---------	-----------	-----------	----------	------------	----------

		पृ०सं०	शुल्क	प्राप्त आय	से प्राप्त आय
1	7/08	1	43312	13850	29462
2	6/09	6	54450	28950	25500
3	8/10	18	54280	43050	11230

7 राजकीय कोष में ₹496397/- जमा न करवाने बारे:-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी०पी०टी०-एफ(१) ३/२००० ई-गवर्नेन्स दिनांक ३.९.०५ के पैरा ३ (बी) क अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त कुल वसूलियों का २५ प्रतिशत भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। सोसाईटी द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि ८/०७ से ३/१४ के दौरान सेवा शुल्क के रूप में निम्नविवरणानुसार कुल ₹१९८५५८६/- की वसूली की गई थी जिसका २५ प्रतिशत भाग ₹४९६३९७/-राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था, जबकि सोसाईटी द्वारा यह राशि राजकीय कोष में जमा नहीं करवाई गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय के २५ प्रतिशत भाग की ₹४९६३९७/-को राजकीय कोष में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय का २५ प्रतिशत भाग नियमानुसार समय पर राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	अवधि	प्राप्त सेवा शुल्क	राजकीय कोष में जमा करने हेतु २५ प्रतिशत भाग
1	2007-08 (26.8.07 से 7.5.08)	153218	38304
2	2008-09 (8.5.08 से 31.3.09)	132890	33223
3	2009-10	288650	72163
4	2010-11	310158	77540
5	2011-12	332440	83110
6	2012-13	426430	106607
7	2013-14	341800	85450
	कुल	1985586	496397

8 वास्तविक प्राप्तकर्ता से रसीदें प्राप्त न करने बारे:-

अंकेक्षण अवधि में अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि ई-गवर्नेन्स सोसाईटी मनाली द्वारा अध्यक्ष, ई-गवर्नेन्स सोसाईटी जिला कुल्लू को निम्नविवरणानुसार विभिन्न राशियों का भुगतान किया गया परन्तु इस सन्दर्भ में रसीदें प्राप्त नहीं की गई तथा जांच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इन भुगतानों से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्तकर्ता से रसीदें प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र०सं०	रोकड़ बही पृ०सं० व दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	रोकड़ बही नं० 1 10 / 25.11.09	350000
2	19 / 26.8.10	150000
3	22 / 7.9.10	9127
4	27 / 1.1.11	59821
5	28 / 7.2.11	50000
6	30 / 8.3.11	20000
7	32 / 6.4.11	27145
8	34 / 6.5.11	35084
9	रोकड़ बही नं० 2 32 / 4.2.12	150000
10	76 / 30.11.12	180000
11	113 / 12.7.13	200000
12	128 / 14.10.13	130000
13	153 / 3.3.14	120000
	कुल	1481177

9 स्टॉक रजिस्ट्रों का निर्माण नियमानुसार न करना:—

अंकेंक्षण अवधि में स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा ई-गवर्नेन्स फण्ड से खरीदी गई वस्तुओं को उपयोग एवं अनुपयोग रजिस्ट्रों में दर्ज नहीं किया गया है अपितु एक ही पन्ने पर विभिन्न वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टिया दर्ज की गई है जोकि अनुचित है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक खरीदी गई वस्तु को अलग अलग पृष्ठों में दर्ज किया जाना चाहिए था तथा उसकी तिथिवार खपत/विवरणी भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए थी व शेष मात्रा को स्टॉक रजिस्टर में दर्शाना चाहिए था। अतः परामर्श दिया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर का निर्माण व रख रखाव ई-गवर्नेन्स सोसाईटी जिला कुल्लू द्वारा निर्धारित फण्ड नियम 11 के अनुसार तथा इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा पूर्व के रजिस्टर से भी सभी मदों को उनके खातों में स्थानांतरित करके स्टॉक बकाया शेष की मात्रा भी दर्शाई जाए व की गई कार्रवाई का सत्यापन आगामी अंकेंक्षण में करवाया जाए।

10 विविध:—

केन्द्रीय ईकाई कुल्लू से समय-2 पर ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) मनाली को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) मनाली से केन्द्रीय ईकाई कुल्लू को

समय-2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई कुल्लू से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 लघु आपत्ति विवरणी:— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12 निष्कर्ष:— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)34/2015 Vol-1-2471-2475 दिनांक 18.05.2015, शिमला-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत:—1 उप मण्डल अधिकारी एवं सचिव (आर0एल0ए0) मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ पषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

- 2 जिलाधीश कुल्लू जिला कुल्लू (हि0प्र0)
- 3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला-03
- 4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला-02
- 5 श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.